न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—97/2010/223 (2010/00020)

1. श्रीमती गीता देवी बेवा स्व0 शंकर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम माखुपरा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती पांची बेवा शारदूल (नाम तर्क)
2. फूलचंद पुत्र शारदूल,
3. जगदीश पुत्र शारदूल,
4. रमेश पुत्र शारदूल,
5. शंकरलाल पुत्र शारदूल,
6. श्रीमती गीता पुत्री शारदूल,
7. श्रीमती सीता देवी पुत्री शारदूल,
8. श्रीमती गुड्डी पुत्री शारदूल,
9. श्रीमती सुनिता पुत्री शारदूल,
   सभी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर।
10. पांचू पुत्र पन्ना, जाति गुर्जर, निवासी माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर।
11. श्रीमती छोटी बेवा रामा (नाम तर्क)
12. नन्दा पुत्र रामा,
13. कालू पुत्र रामा,
14. सरदार पुत्र रामा (फौत)
    सभी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम माखुपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (प्रशिक्षणार्थी), अजमेर दिनांक 24.4.2007 अंतर्गत वाद संख्या 71/1999.

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी एवं श्री विकास कुमार गूगरवाल, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5, 9 व 10.
3. रेस्पो0 संख्या 3, 4, 6 से 8, 12 से 16 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—24.02.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (प्रशिक्षणार्थी), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 11 से 16 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 256 रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वासी व खसरा नंबर 245 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम माखुपरा, तहसील अजमेर में स्थित है ।

आराजी मुतनाजा के पूर्व खसरा नंबर 219 थे जो वादीगण के पिता पन्ना की खातेदारी में दर्ज थे उनको गलत तौर पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया है । अतः वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित किया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में इंद्राज दुरूस्ती की जावे । प्रतिवादीगण ने वादपत्र के कथनों से इंकार किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2007 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 10 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति स्व0 शंकर पुत्र रामा वाद में प्रतिवादी संख्या 7 पक्षकार थे जिनका देहांत दिनांक 22.11.2006 को ही जाने के बावजूद भी वादीगण ने उनकी कायम मुकामी करने बाबत् कोई कार्यवाही नही की व उनके विरूद्ध एकतरफा में डिक्री प्राप्त की है । प्रार्थिया स्व0 शंकर की बेवा स्त्री होकर उसकी वारिस है । अतः प्रार्थिया के मृत पति स्व0 शंकर के विरूद्ध पारित की गई डिक्री से अपीलांट पीड़ित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.4.2007 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के पति स्व0 शंकर के देहांत के बाद विपक्षी द्वारा वाद में कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई तथा प्रार्थिया के मृत पति शंकर के विरूद्ध एकतरफा में डिक्री प्राप्त की है जो शून्य एवं निष्प्रभावी है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 18.3.2010 को अन्य प्रतिवादीगण के कहने पर हुई । तब दिनांक 19.3.2010 को अधिवक्ता नियुक्त कर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 31.3.2010 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्रतिवादी संख्या 7 स्व0 शंकर के विरूद्ध पारित की गई है जो कानूनी दृष्टि से शून्य प्रभावी है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 7 जो अपीलांट के पति है उनका देहांत वाद के दौरान ही दिनांक 22.11.2006 को हो गया था जिसकी विपक्षी को पूर्ण जानकारी होते हुए भी उसने जल्दबाजी में तथ्यों को छिपाते हुए शंकर की कायम मुकामी किये बिना एकतरफा में मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित करवाई है । विपक्षी का वाद शंकर की मृत्यु हो जाने के 90 दिवस पश्चात् स्वत ही अबैट हो चुका था । अतः अधी0न्याया0 का निर्णय प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि आराजी मुतनाजा को उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर द्वारा भूमि अवाप्ति प्रकरण संख्या 7/1994 द्वारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकासएवं विनियोजन निगम लिमिटेड हेतु अवाप्त किया जाकर अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी जिसकी पुष्टि में अपीलांट ने भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 7/94 की फोटो प्रति पेश कर रखी है जिससे स्पष्ट है कि वाद दायर से पूर्व ही भूमि रीको विभाग द्वारा अवाप्त कर दी गई थी । अतः विपक्षी का वाद जो कि विपक्षी ने दिनांक 1.12.1999 को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया था वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित नजीर आर0आर0टी0 2008 पेज 174 पर दी गई नजीर के आधार पर चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने

एकतरफा में डिक्री करने में विधिक भूल की है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से श्री किशन गुर्जर अभिभाषक नियुक्त थे जिन्होंने प्रतिवादीगण को बिना किसी सूचना वाद की पैरवी छोड़ दी थी । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को उनके अभिभाषक द्वारा पैरवी छोड़ देने के पश्चात् पुनः नोटिस जारी किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित करने मे त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर विपक्षी का कब्जा काश्त नहीं होने के बावजूद कब्जे के बाबत् कोई फाईण्डिग दिये बिना वाद डिक्री किया है । इस कारण कब्जे के अभाव में खातेदारी घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने वाद में प्रोपर तनकियात कायम किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2007 को निरस्त कियाा जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1999 (6) पेज 128, 158, आर0बी0जे0 2001 पेज 313, आर0बी0जे0 2013 (20) पेज 226, आर0बी0जे0 2016 पेज 679, आर0बी0जे0 2009 पेज 253, आर0बी0जे0 2006 (13) पेज 796 एवं आर0बी0जे0 2007 (14) पेज 802 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5, 9 व 10 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 द्वारा वाद पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के द्वारा जवाब पेश किया गया है । अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 स्व0 शंकर की पत्नि है । अंतिम चौसाला जमांबंदी संवत् 2022 से 2025 के अनुसार पुराना खाता संख्या 143 के पुराने खसरा नंबर 219 ग्राम माखुपरा, तहसील व जिला अजमेर के खातेदार पन्ना पुत्र देवी जाति गुर्जर थे जो कि वादीगण के पिता है जिनका स्वर्गवास हो चुका है । खसरा नंबर 219 पुराना के मौजूदा खसरा नंबर 254 रकबा 1 बीघा का इंद्राज मौजूदा वर्किंग जमाबंदी में बिना किसी आधार एवं आदेश के भू–प्रबंध विभाग द्वारा रामा व पूसा पि0 पीरू जाति गुर्जर के नाम दर्ज कर दिया गया था जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई विधिक अधिकार नहीं था । यह भी कथन किया कि स्व0 पन्ना द्वारा विवादित आराजियात का कभी भी रामा को नहीं किया गया था । अपीलांट का यह कथन कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम की जाकर वाद को गुणावगुण पर निर्णित किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण को साक्ष्य के अनेक अवसर प्रदान किये गये थे किन्तु प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे जिससे अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत् है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थी इसलिये अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करने का हक व अधिकार नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण उपरांत वादी का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू0एल0सी0 2015 पेज 267, आर0आर0डी0 2017 पेज 81, आर0बी0जे0 2013 (20) पेज 280 एवं आर0बी0जे0 2016 (23) पेज 617 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया कि

प्रार्थिया प्रतिवादी संख्या 7 शंकर जिसका स्वर्गवास हो चुकी कि पत्नि है एवं अधी0न्याया0 के निर्णय से व्यथित है इस कारण अपील पेश करने की अनुमति दी जावे । चूंकि अपीलांट प्रतिवादी शंकर की पत्नि है इस कारण हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अपीलांट ने जो विलंब के कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0/वादी द्वारा अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के अनुसार चौसाला खसरा नंबर 219 ग्राम माखुपुरा के संबंध में वाद पेश किया गया जिसमें कथन किया था कि संवत् 2022 से 2025 की अंतिम चौसाला जमाबंदी में पन्ना पुत्र देवी गुर्जर खातेदार दर्ज थे परन्तु भू–प्रबंध विभाग के द्वारा बिना किसी हस्तातंरण अथवा आदेश के मौजूदा खसरा नंबर 251 रकबा 1 बीघा रामा व पूसा पि0 पीरू गुर्जर के नाम दर्ज कर दी गई जिसका उन्हें विधिक अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर कथन किया कि खसरा संख्या 254 का खाता संख्या 333 है जो कि पूर्व में 320/1 था तथा उक्त खसरा संख्या 143 में कभी कब्जा दर्ज नहीं रहा है । भू–प्रबंध अजमेर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के पति एवं तीन लगायत 7 के पिता रामा के नाम उक्त भूमि का इंद्राज संपूर्ण जांच के पश्चात् व भौतिक कब्जे के सत्यापन के पश्चात् किया गया है जो सही व सत्य है । वर्किंग जमाबंदी में भी उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिसके विपरीत वादीगण कोई, हक, हकूक खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधी0न्याया0 ने वाद में तनकियात कायम कर निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2007 को पारित कर वादी/रेस्पो0 को विवादित आराजी खसरा नंबर 254 रकबा 1 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया है ।

10. दौराने बहस अपील अपीलांट का यह कथन रहा है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 द्वारा वाद 1.12.1999 को पेश किया गया था जबकि विवादित आराजियात भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 7/1994 द्वारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड हेतु सन् 1996 में अवाप्त किया जाकर अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी जिससे वादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद जो कि सन् 1999 में अधी0न्याया0 के समक्ष वाद दायर हुआ था । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि विवादित आराजियात पर वक्त दावा दायरी वादी/रेस्पो0 का कब्जा काश्त नहीं होकर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त था । इस कारण से कब्जे के अभाव में भी वादिया का वाद संधारण योग्य नहीं था । प्रतिवादी संख्या 7 शंकर की मृत्यु दिनांक 22.11.2006 को हो चुकी थी जो पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.1.2007 के अवलोकन से स्पष्ट होता है । अधी0न्याया0 द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद दिनांक 24.4.2007 को डिक्री किया है जो अधी0न्याया0 द्वारा मृतक प्रतिवादी संख्या 7 शंकर के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक के विरूद्ध डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है क्योंकि अपीलांट मृतक प्रतिवादी संख्या 7 शंकर की पत्नि है जो अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार कायम नहीं किये जाने से साक्ष्य एवं जवाब पेश नहीं कर पायी थी । अतः अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 मृतक शंकर के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से तथा विवादित आराजी वाद दायरी से पूर्व

अवाप्त होकर अवार्ड आदेश जारी होने से वाद संधारण योग्य था अथवा नहीं इस संबंध में हम अधी0न्याया0 द्वारा वाद का पुनः परीक्षण कराया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (प्रशिक्षणार्थी), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2007 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 7 मृतक शंकर के समस्त विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर एवं विवादित भूमि दावा दायरी से पूर्व अवाप्त होने तथा अवार्ड राशि घोषित होने से वाद संधारण योग्य है अथवा नहीं इस संबंध में तनकी कायम कर, उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर